न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या 188/2021 दायर दिनाँक 04.08.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रभुराम पुत्र नारायणराम, उम्र 52 वर्ष, जाति नायक, निवासी खादू खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. कंवरी पत्नि स्वर्गीय दियाला, 2. कैलाश पुत्र दियाला, 3. चरण सिंह पुत्र दियाला, समस्त जाति बावरी, निवासी बिंचावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 4. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **20.07.2022**

वाद के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 853/505 रकबा 2.04 बीघा वाके बिंचावा स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, उक्त खेत के खसरा संख्या पूर्व में 505 रकबा 29.05 बीघा थी, जिसमें कई खातेदार थे और उनके द्वारा अलग अलग लोगो को समय समय पर बेचाण करने पर प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के नाम से 2.04 बीघा शेष रही है। तथा प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के नाम से खसरा संख्या 857/505 रकबा 4.02 बीघा भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। वादी प्रभुराम ने प्रतिवादीनी नम्बर 01 श्रीमति कंवरी से खेत खसरा संख्या 505 रकबा 29.05 बीघा में से उसके संम्भावित 1/12 हिंस्सा में से 4/117 अर्थात एक बीघा भूमि जरिय विक्रय पत्र दिनॉक 03.05.2010 को 24420/रूपये में खरीद कर मौके पर कब्जा संभाल लिया था, तथा वादी ने अपनी खरीद सुदा भूमि के चारो तरफ पक्की चार दिवारी बनाकर उत्तर दिशा में दरवाजा रखकर फाटक चढ़ा रखी है तथा अन्दर काफि पेड़ लगा लिये है, तथा पानी का कनेक्शन लिया हुआ है। तथा उक्त एक बीघा भूमि खरीद करने से लेकर आज तक वादी का ही अबाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। विक्रय पत्र की नकल वाद के साथ पेश है तथा वादी ने उक्त विक्रय पत्र की नकल तत्कालीन पटवारी को अपने नाम से नामान्तरकरण भरने के लिये दी थी। लेकिन हाल ही में दिनॉक 08.07.2021 को पटवारी हल्का के पास जाने से जानकारी हुयी कि वादी के नाम से अभी तक नामान्तरकरण नहीं भरा गया है। जिसके कारण वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है। वादी अपनी खरीद सुदा व कब्जा सुद एक बीघा भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने नाम से करवाना चाहता है। जिसका की वह कानूनन हकदार है। अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है तथा पक्षकारान ने आपस में मौखिक बंटवारा कर रखा है, जिसके अनुसार खसरा संख्या 853/505 रकबा 2.04 बीघा में से पूर्वी एक बीघा भूमि वादी के बंट व कब्जा काश्त में आयी हुयी है। जिस पर वादी की चारदिवारी बनी हुयी है। और वादी का अबाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी असुविधा होती है। ऐसी स्थिति में वादी खसरा संख्या 853/505 रकबा 2.04 बीघा भूमि का बंटवारा कानूनी रूप से करवाना चाहता है जिसका की वह जायज व कानूनन हकदार है। अतः वादी को दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी आया है। वादी ने इस बंटवारे को अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है, जो वाद का भाग है। मौके नक्शा वादी [illegible] पेश है। वादी की खातेदारी, कब्जा व खरीद सुदा भूमि में प्रतिवादीगण [illegible] प्रकार का दखल नहीं करें इस बाबत उनके खिलाफ वादी स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] है। अतः वादी को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है। तथा खसरा संख्या 853/505 में प्रतिवादी नम्बर 02 व 03 की खातेदारी होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है, उनसे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुयी, जिसने वादी के कथन की पुष्टि की है।

विद्वान अधिवक्ता की सारगर्भित बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिंचावा के वर्तमान खेत खसरा संख्या 853/505 रकबा 2.04 बीघा में वादी को नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार 1.00 बीघा भूमि का स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें। डिक्री जारी हो। वाद के साथ पेश नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **20.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 188/2021 दायर दिनाँक 04.08.2021

वादी

1. प्रभुराम पुत्र नारायणराम, उम्र 52 वर्ष, जाति नायक, निवासी खाटू खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. कंवरी पत्नि स्वर्गीय दियाला,
2. कैलाश पुत्र दियाला,
3. चरण सिंह पुत्र दियाला, समस्त जाति बावरी, निवासी बिंचावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर
4. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 20.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिंचावा के वर्तमान खेत खसरा संख्या 853/505 रकबा 2.04 बीघा में वादी को नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार 1.00 बीघा भूमि का स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें। डिक्री जारी हो। वाद के साथ पेश नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत....................—............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 20.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:56:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner